

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) म प्रकाशनाथ)

भारत सरकार/वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 11 दिसंबर, 2015

आय-कर

का. आ. 3357 (अ) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) का धारा 115पख का उपधारा (7) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (बीसवांसंशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र म प्रकाशन का तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 म, नियम 12गक के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“धारा 115 पख का उपधारा (7) के अधीन विवरण ”

12गख. (1) किसी विनिधान निधि द्वारा अपने यूनिटधारक को संदत्त या जमा की गई आय का विवरण, किसी विनिधान निधि का ओर से आय के जमा करने या संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा और विनिधान निधि द्वारा --

(i) यूनिटधारक को, पूर्ववर्ती वर्ष, जिसके दौरान विनिधान निधि का ओर से आय जमा करने या संदत्त करने वाले व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित प्ररूप सं. 64ग म संदत्त या जमा की गई आय ऐसी राति म जो उसम उपदर्शित की गई है, के पश्चात् वित्तीय वर्ष के तीस जून तक ; और

(ii) आयकर के प्रधान आयुक्त या आयुक्त को, जिसका अधिकारिता के भीतर विनिधान निधि का प्रधान कार्यालय अवस्थित है, को पूर्ववर्ती वर्ष, जिसके दौरान किसी लेखाकार द्वारा सम्यक रूप से उसम उपदर्शित राति म सत्यापित प्ररूप सं 64घ म, इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन संदत्त या जमा की गई है, के पश्चात् वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक दिया जाएगा ।

(2) यथास्थिति, आय-कर (प्रणाली) का प्रधान महानिदेशक या आय-कर (प्रणाली) का महानिदेशक, प्ररूप 64घ फाइल करने हेतु प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा और इस नियम के अधीन इस प्रकार की गई संदत्त या जमा की गई आय के विवरणों के संबंध म समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुनःप्राप्ति नीतियाँ को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

3. परिशिष्ट -2 म प्रपत्र सं.64खके पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

प्ररूप सं. 64ग

(नियम 12गख (1) (i) देख)

आयकर अधिनियम, 1961 का धारा 115पख के अधीन यूनिटधारक को उपलब्ध कराई जाने वाली विनिधान निधि द्वारा
वितरित आय का विवरण

- 1 यूनिटधारक का नाम :2 यूनिटधारक पता
- 3 यूनिटधारक का स्थायी लेखा संख्या4. पूर्ववर्ती वर्ष जब समाप्त हो रहा हो :5. विनिधान निधि का नाम और पता
6. विनिधान निधि का स्थायी लेखा संख्या7. पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान यूनिटधारक को विनिधान निधि द्वारा संदत्त या जमा की गई आय के ब्यौरे :

(रूपये म)

क्रम सं.	संदत्त या जमा की गई रकम	संदाय या जमा करने का तारीख	आय के शीर्षा के अधीन संदत्त /जमा की गई रकम का ब्रेकअप						
			'कारबार या वृत्ति'	'दोघावर्धि पूजीलाभ'		'अन्पावर्धि पूजीलाभ'		'अन्य स्रोत'	
				धारा 10(38 म निर्दिष्ट	अन्य	जिसको धारा 111क लागू होती है	अन्य	'लाभांश' (धारा 115ण म निर्दिष्ट	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

म,(पूरा नाम साफ अक्षरों म) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमति/सुश्री..... सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करती हूं कि जो कुछ भी ऊपर और उपाबंध (उपाबंधों) म कथन किया गया है, जिसके अंतगत ऐसे उपबंध (उपबंधों) के साथ संलग्न दस्तावेज ह, मेरी सर्वात्मम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूण है । म और घोषणा करता हूं/करती हूं कि म ऐसे विवरण(पदनाम) के रूप म अपनी हैसियत म दे रहा हूं/रही हूं और म ऐसे विवरण को देने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं ।

आज तारीखको सत्यापित ।स्थान:.....

हस्ताक्षर

प्ररूप सं. 64घ

(नियम 12गक (1) (ii) देख)

आयकर अधिनियम, 1961 का धारा 115पख के अधीन दी जाने वाली विनिधान निधि द्वारा संदत्त या जमा की गई आय का विवरण

1. विनिधान निधि का नाम : 2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
3. विधिक हैसियत: [कंपनी/न्यास/सीमित दायित्व भागेदारा/निर्गमित निकाय]
4. स्थायी लेखा संख्या
5. ववर्ता वष जब समाप्त हो रहा हो : 6. विनिधान निधि के निदेशका/न्यासिया/भागीदारा के नाम और पते*

क्रम सं.	नाम	पता
(1)	(2)	(3)

7. (i) यदि भारत के प्रतभूत और विनिमय बोड हां/नहीं *

(अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन एसईबीआई के पास अनुकल्पी विनिधान के रूप म रजिस्ट्रीकृत है

(ii) यदि हां, निम्नलिखित ब्यौर द : (क) यदि वग I/II के रूप म रजिस्ट्रीकृत है

(ख) रजिस्ट्रीकरण संख्या

(ग) रजिस्ट्रीकरण का ताराख:

8. विनिधान निधि का कुल आय

9. (i) पूववर्ता वष का हानिया के ब्यौर, यदि कोई हो; धारा 115पख का उपधारा (2) के खंड (ii) के अनुसार धारा 115पख के प्रयोजना के लिए ध्यान न दिया जाना अपेक्षित है:

क्रम सं.	आय का शीष	हानि का रकम
(1)	(2)	(3)

(ii) पूववर्ता वष या वर्षा का हानिया के ब्यौर, यदि कोई हो; धारा 115पख का उपधारा (2) के खंड (i) के अनुसार पूववर्ता वष का आय के विरुद्ध क्षतिपूत का जानी अपेक्षित है

क्रम सं.	आय का शीष	हानि का रकम	चालू वष म क्षतिपूत का रकम	अग्रणीत का जाने वाला रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(iii) ऊपर (i) में हानि को ध्यान न देते हुए और ऊपर (ii) पर हानियाँ को क्षतिपूर्ति करने के पश्चात् विनिधान निधि की आय का कुल योग:

(iv) 'कारबार' और 'वृत्ति' शीष के अधीन आय,

क्रम सं.	रकम	अनुपात [स्तंभ 2/ऊपर 9 (iii) पर रकम]
(1)	(2)	(3)

(v) "पूँजी लाभ" शीष के अधीन आय

क्रम सं.	वर्ग	रकम	अनुपात[स्तंभ 3/ऊपर 9(iii) पर रकम]
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धारा 10(38) में निर्दिष्ट दोगावधि पूँजी लाभ		
2.	दोगावधि पूँजी लाभ (अन्य)		
3.	अल्पावधि पूँजी लाभ (जिसको धारा 111ग लागू होती हो)		
4.	अल्पावधि पूँजी लाभ (अन्य)		

(vi) 'अन्य स्रोत' शीष के अधीन आय:

क्रम सं.	वर्ग	रकम	अनुपात[स्तंभ 3/ऊपर 9(iii) पर रकम]
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	लाभांश [धारा 115ग में निर्दिष्ट]		
2.	अन्य		

भारतीय प्रतिभूत और विनियम बोड अनुकल्पी विनियम (निधि) विनियम, 2012 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का प्रति संलग्न कर ।

संपरोक्षित लेखे जिनके अंतगत तुलनपत्र, वार्षिक रिपोर्ट, यदि कोई हो, आय के संदाय या आय के जमा (धारा 115पख(6) के उपबंधों के अनुसार जमा का गई समझी गई रकम सहित) आय और विनियोग का सत्यापित का प्रमाणित प्रति सहित संलग्न कर

म,(पूरा नाम साफ अक्षरों म) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमति/सुश्री..... सत्यानष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करती हूं कि जो कुछ भी ऊपर और उपाबंध (उपाबंधों) म कथन किया गया है, जिसके अंतगत ऐसे उपबंध (उपाबंधों) के साथ संलग्न दस्तावेज ह, मेरा सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूण है । म और घोषणा करता हूं/करती हूं कि म ऐसे विवरण(पदनाम) के रूप म अपनी हैसियत म दे रहा हूं/रही हूं और म ऐसे विवरण को देने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं ।

आज तारीखको सत्यापित । स्थान:.....

हस्ताक्षर

सत्यापन

मने/हमने.....,को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती वर्ष के लिएअनुकल्पी विनियम (निधि) का नाम) द्वारा यूनिटधारक को संदत्त/जमा का गई आय (धारा 115पख के उपबंधों के अनुसार जमा का गई समझी गई रकम सहित) और अजित आय का विशिष्टता को दर्शाने वाला लेखा बर्हिया और अन्य दस्तावेजों का परीक्षा को है ।

2. म/हम घोषणा करते ह कि उपयुक्त विशिष्टता मेरा/हमारा जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है ।

.....

(लेखाकार का नाम और हस्ताक्षर)

स्थान:.....

तारीख:

टिप्पण : 1. "लेखाकार" से आयकर अधिनियम, 1961 का धारा 288 का उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण म यथा परिभाषित लेखाकार अभिप्रेत है 2. सभी रकम भारतीय रुपये म वर्णित का जाने है ।

* जो लागू न हो, उसे काट द ।

(अधिसूचना सं. 92./2015/फा. सं. 142/22/2015-टीपीएल)

(एकताजैन)

उप सचिव (करनीत और वधान)

टिप्पणः-- मूलनियमकोभारतकेराजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 3, उपखंड (ii) मअधिसूचनासंख्याका.आ. 969 (अ), तारीख 28 माच, 1962 द्वाराप्रकाशितकियागयाथाऔरइनमअंतिमसंशोधनअधिसूचनासं.का.आ.3312(अ)तारीख8 दिसंबर, 2015द्वाराकियागयाथा।

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]**

Notification

New Delhi, the 11th day of December, 2015

INCOME-TAX

S.O. 3357(E).-In exercise of the powers conferred by section 295 read with sub-section (7) of section 115UB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (20thAmendment) Rules, 2015.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 12CA, the following rule shall be inserted, namely:-

“Statement under sub-section (7) of section 115UB.

12CB.(1) The statement of income paid or credited by an investment fund to its unit holder shall be furnished by the person responsible for crediting or making payment of the income on behalf of an investment fund and the investment fund to the-

- (i) unit holder by 30th day of June of the financial year following the previous year during which the income is paid or credited in Form No. 64C, duly verified by the person paying or crediting the income on behalf of the investment fund in the manner indicated therein; and
- (ii) Principal Commissioner or the Commissioner of Income-tax within whose jurisdiction the Principal office of the investment fund is situated by 30th day of November of the financial year following the previous year during which the income is paid or credited, electronically under digital signature, in Form No.64D duly verified by an accountant in the manner indicated therein.

(2) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall specify the procedure for filing of Form No. 64D and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the statements of income paid or credited so furnished under this rule.”

3. In Appendix-II, after the Form No. 64B, the following Forms shall be inserted, namely:--

“FORM NO. 64C
[See rule 12CB (1)(i)]

Statement of income distributed by an investment fund to be provided to the unit holder under section 115UB of the Income-tax Act, 1961

1. Name of the unit holder:
2. Address of the unit holder:
3. Permanent Account Number of the unit holder:
4. Previous year ending:
5. Name and address of the Investment Fund:
6. Permanent Account Number of the Investment Fund:
7. Details of the income paid or credited by the Investment Fund to the unit holder during the previous year:

(In Rs)

S. No.	Amount paid or credited	Date of payment or credit	Breakup of Amount paid/credited under Heads of Income						
			‘Business and Profession’	‘Long Term Capital Gain’		‘Short Term Capital Gain’		‘Other Sources’	
				Referred to in Section 10(38)	Others	To which Section 111A applies	Others	‘Dividend’ [referred to in Section 115O]	Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

I, _____
(Name in full and in block letters) son/daughter/wife of _____ do hereby solemnly declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the Annexure(s), including the documents accompanying such Annexure(s), is correct and complete. I further declare that I am furnishing such statement in my capacity as _____ (designation) and that I am competent to furnish this statement and verify it.

Verified today the _____ day of _____

Place _____

Signature

FORM NO. 64D

[See Rule 12CB (1)(ii)]

Statement of income paid or credited by investment fund to be furnished under section 115UB of the Income-tax Act, 1961**1. Name of the Investment Fund:****2. Address of the registered office:****3. Legal status:**

[company/ trust/ limited liability partnership/ body corporate]

4. Permanent Account Number:**5. Previous year ending:****6. Name and address of the Directors/ Trustees/ Partners of the Investment fund*:**

S. No	Name	Address
(1)	(2)	(3)

7. (i) Whether registered as Alternative Investment Fund with SEBI under the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012: Yes/No*

(ii) If Yes, furnish following details:

- (a) Whether registered as Category I/II
- (b) Registration number
- (c) Date of registration

8. Total Income of Investment Fund:

9. (i) Details of losses of the previous year, if any; required to be ignored for purposes of section 115UB(1) in accordance with clause (ii) of sub-section (2) of section 115UB:

S. No.	Head of Income	Amount of loss
(1)	(2)	(3)

(ii) Details of losses of preceding previous year(s), if any; required to be set off against the income of the previous year in accordance with clause (i) of sub-section (2) of section 115UB:

S. No.	Head of Income	Amount of loss	Amount set off in current year	Amount to be carried forward
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(iii) Aggregate of income of Investment fund after ignoring the loss in (i) above and setting off of losses at (ii) above:

(iv) Income under head 'Business & Profession':

S.No.	Amount	Proportion[Column 2/Amount at 9(iii) above]

Attach a copy of the certificate of registration under Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012.

Attach audited accounts including balance sheet, annual report, if any, with certified copies of income and appropriation towards payment of income or credit of income [including amount deemed to have been credited in accordance with provisions of section 115 UB(6)].

I, _____ (Name in full and in block letters) son/daughter/wife of _____ do hereby solemnly declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the Annexure(s), including the documents accompanying such Annexure(s), is correct and complete. I further declare that I am furnishing such statement in my capacity as _____ (designation) and that I am competent to furnish this statement and verify it.

Verified today the _____ day of _____.
Place _____ Signature _____

Verification

I/We _____ have examined the books of account and other documents showing the particulars of income earned and the income paid / credited [including amount deemed to have been credited in accordance with provisions of section 115 UB(6)] to the unit holder by the _____ (name of the Alternative Investment Fund) for the previous year ending _____.

2. I/We declare that the above particulars are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

Place _____ (Signature with name of the Accountant)

Date _____

Notes: 1. "Accountant" means the accountant as defined in the *Explanation* below sub-section (2) of section 288 of the Income-tax Act, 1961.

2. All amount to be mentioned in Indian Rupees

* Strike out whichever is not applicable."

[Notification No. 92/2015/ F.No.142/22/2015-TPL]

(Ekta Jain)

Deputy Secretary (Tax Policy and Legislation)

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 969(E), dated the, 26th March, 1962 and last amended vide notification number SO No 3312(E) dated the 8th December, 2015.